

न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा जिला नागौर

निर्णय दिनांक:- 12.3.2018

मिसल नम्बर:- 485/2018

पत्रावली आज पेश हुई।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्कादिनांश.....ने भू-अभिलेख निरीक्षक
.....का.....से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी.....21.2.2018.....
पुत्र21.2.2018.....जाति.....भार.....निवासीदिनांश.....ने मौजा/राजस्व
ग्रामदिनांश.....के खसरा नम्बर72.....रकबा0.0367.....किस्म भूमिशे.हु.नॉ.....
पर संवत् 2074 में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है।

इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर
किया जाकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात अप्रार्थी
उपस्थित/ अनुपस्थित। परन्तु किये गये अतिक्रमण के पक्ष में कब्जे के सबूत बाबत कोई
सन्तोषजनक जबाब अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। पुराने कब्जे के बाबत भी कोई
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अनुसार अतिक्रमी का मुतनाजा अराजी पर कब्जा
है। एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी अतिक्रमी का मुतनाजा अराजी पर
कब्जा है। एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी अतिक्रमी घोषित किया जाता
है एवं उपरोक्त अतिक्रमी भूमि से बेदखली आदेश दिये जाते हैं। तथा अतिचार करने के
फलस्वरूप लगान.....0.15.....प्रतिवर्ष का 50 गुना कुल81.....रूपये बतौर जुर्माना
आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक अतिक्रमी को अतिक्रमण स्थल से
भौतिकरूप से बेदखल करके फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करे। साथ ही जुर्माना वसूल कर
पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसील राजस्व लेखाकार (टी.आर.ए.) व पटवारी हल्का को आदेशित
किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णीतशुमार होकर नम्बर से कम हो।

मोहर

दि. 2018-18 तहसीलदार
पृष्ठ 57 क्रम सं. 29 प
नुमांन 8 फॉनि
चर जर्माना दर्ज किया

तहसीलदार मूण्डवा
तहसीलदार
मूण्डवा (नागौर)

Contact : 01584-283035(O) E-mail: tdr.mun@rediffmail.com



स्वच्छ नागौर - स्वस्थ नागौर - निराळो नागौर

